

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



कार्यालय म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल
भावक क्र. 498
दिनांक 04-12-13
शस्त्र 35
हस्ता.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 13, शक 1935

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार सदस्यों का निर्वाचन एवं नामांकन उपरान्त धारा 14 (9) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में निर्वाचित निम्नलिखित तीन सदस्यों को नियुक्त करता है :-

- (1) श्रीमती नजमा हेपतुल्ला (संसद सदस्य, राज्यसभा श्रेणी से सदस्य).
- (2) श्री आरिफ अकील (विधान सभा सदस्य, विधायक श्रेणी से सदस्य), भोपाल.
- (3) श्री शौकत मोहम्मद खान (मुवातल्ली श्रेणी से सदस्य), भोपाल.

2. इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2013 द्वारा की गई नियुक्ति के अनुक्रम में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :-

- (1) श्रीमती नजमा हेपतुल्ला (संसद सदस्य, राज्यसभा श्रेणी से सदस्य).
- (2) श्री आरिफ अकील (विधान सभा सदस्य, विधायक श्रेणी से सदस्य), भोपाल.
- (3) श्री शौकत मोहम्मद खान (मुवातल्ली श्रेणी से सदस्य), भोपाल.
- (4) श्री मेहबूब हुसैन आत्मज श्री मंसूर हुसैन, भोपाल.
- (5) श्री एम. आर. खान आत्मज श्री एच. आर. खान, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, अपर मुख्य सचिव.

1067

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

अनुभाष अधिकारी
म. प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण मंत्रालय